

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, गाजीपुर

पत्रांक 287 / DWSM- कार्यवृत्त / 06 दिनांक- 24/02/2026

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न पाइप पेयजल योजनाओं की मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक- 04.02.2026 को हुई प्रगति समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त:-

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न पाइप लाइन पेयजल योजनाओं की दिनांक-04.02.2026 को आहूत समीक्षा बैठक में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

- 1- मुख्य विकास अधिकारी, गाजीपुर।
- 2- अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) गाजीपुर।
- 3- समस्त सहायक अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) गाजीपुर।
- 4- जिला समन्वयक, डी0पी0एम0यू0 गाजीपुर।
- 5- डी0पी0एम0- टी0पी0आई0, मेसर्स मेधज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0लि0, गाजीपुर।
- 6- प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स लार्सन एंड टुब्रो।
- 7- प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स वी0एस0ए0 इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0 एण्ड एस0एम0सी0 इन्फ्रास्ट्रक्चर।
- 8- प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स एच0एफ0सी0एल0।

“जल जीवन मिशन कार्यक्रम” के अन्तर्गत निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं की प्रगति समीक्षा हेतु जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति की बैठक मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 04.02.2026 को आहूत की गयी। इससे पूर्व जनवरी माह में दिनांक 06.01.2026 को आहूत की गयी थी। अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) गाजीपुर द्वारा अवगत कराया गया कि शासन द्वारा पेयजल योजनाओं को पूर्ण करने हेतु 05 वर्गों में विभाजित किया गया है।

अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि शासन के पत्र सं0 41/2025/1659/छिहत्तर-1-2025-1882029 नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 15.12.2025 (छायाप्रति संलग्न) एवं पत्र सं0 40/2025/1658/छिहत्तर- 1-2025-1882022 नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 15.12.2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सामुदायिक अंशदान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में जारी किया गया है। जिसमें वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है जिसका का विवरण निम्नवत् है:-

- (1) उक्त धनराशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि सर्वप्रथम 100 प्रतिशत भौतिक रूप से पूर्ण परियोजनाओं को, जिनमें देयता शेष है, धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी।
- (2) तत्पश्चात 90 प्रतिशत से 100 प्रतिशत पूर्ण परियोजनाओं को, जो योजनाएं पूर्णता के जितने नजदीक है, उनको उसी क्रम में धनराशि देते हुए पूर्ण किया जायेगा तथा जनोपयोगी बनाया जाएगा।
- (3) उसके बाद ही 80 प्रतिशत से 90 प्रतिशत पूर्ण परियोजनाओं को पूर्णता के अवरोही क्रम में धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी।

क्र० सं०	वर्गवार विवरण	कार्यदायी संस्थावार सम्पादित जलापूर्ति प्रारम्भ होने वाली पेयजल योजनाओं का विवरण			
		मेसर्स एल० एण्ड टी० योजनाओं की संख्या	मेसर्स वी०एस०ए० योजनाओं की संख्या	मेसर्स एच०एफ०सी०एल० योजनाओं की संख्या	कुल योग
A	Physical is 100% (with Chlorination Plant) & have done for O&M	22	5	0	27
B	Physical progress is 100% (with Chlorination plant) & are in "Trial run" as of now. They should go to O&M as soon as possible	48	18	3	69
C	Physical progress is 100% (with Chlorination Plant) but not yet started the Trail run. They should go to Trial run as soon as possible	11	21	37	69
D	Physical progress is between 91 to 100%	9	10	0	19
E	Physical progress is between 81 to 90 %.	16	15	49	80
कुल योग-		106	69	89	264

अधिकांश अभियन्ता, जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि कैटेगरी वाईज योजनाओं की प्रगति का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रमांक	फर्म का नाम	कैटेगरी (A)					
		लक्ष्य (सं०)	प्राप्ति (सं०)	प्रस्तावित एफ०एच०टी०सी०	क्रियाशील एफ०एच०टी०सी०	लक्ष्य के सापेक्ष योजना (%)	लक्ष्य के सापेक्ष एफ०एच०टी०सी० (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	L & T	22	22	8128	7115	100%	88%
2	VSA	5	5	1929	1736	100%	90%
योग-		27	27	10057	8851	100%	88%

क्रमांक	फर्म का नाम	कैटेगरी (B)					
		लक्ष्य (सं०)	प्राप्ति (सं०)	प्रस्तावित एफ०एच०टी०सी०	क्रियाशील एफ०एच०टी०सी०	लक्ष्य के सापेक्ष योजना (%)	लक्ष्य के सापेक्ष एफ०एच०टी०सी० (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	L & T	48	46	19860	12642	96%	64%
2	VSA	18	12	8573	4673	67%	55%
3	HFCL	3	3	974	610	100%	63%
योग-		69	61	29407	17925	88%	61%

क्रमांक	फर्म का नाम	कैटेगरी (C)					
		लक्ष्य (सं०)	प्राप्ति (सं०)	प्रस्तावित एफ०एच०टी०सी०	क्रियाशील एफ०एच०टी०सी०	लक्ष्य के सापेक्ष योजना (%)	लक्ष्य के सापेक्ष एफ०एच०टी०सी० (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	L & T	11	7	3623	1137	64%	31%
2	VSA	21	9	22746	1597	43%	7%
3	HFCL	37	17	14090	2639	46%	19%
योग-		69	33	40459	5373	50%	13%

क्रमांक	फर्म का नाम	कैटेगरी (D)					
		लक्ष्य (सं०)	प्राप्ति (सं०)	प्रस्तावित एफ०एच०टी०सी०	क्रियाशील एफ०एच०टी०सी०	लक्ष्य के सापेक्ष योजना (%)	लक्ष्य के सापेक्ष एफ०एच०टी०सी० (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	L & T	9	4	2703	762	44%	28%
2	VSA	10	4	4430	975	40%	22%
योग-		20	8	7133	1737	40%	24%

क्रमांक	फर्म का नाम	कैटेगरी (E)					
		लक्ष्य (सं०)	प्राप्ति (सं०)	प्रस्तावित एफ०एच०टी०सी०	क्रियाशील एफ०एच०टी०सी०	लक्ष्य के सापेक्ष योजना (%)	लक्ष्य के सापेक्ष एफ०एच०टी०सी० (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	L & T	16	8	6278	850	50%	14%
2	VSA	15	6	6950	925	40%	13%
3	HFCL	49	36	19625	4420	73%	23%
योग-		80	50	32853	6195	63%	19%

शासन के निर्देशानुसार कार्यदायी संस्थाओं को सर्व प्रथम "कैटेगरी (A)" में वर्गीकृत योजनाओं को शत प्रतिशत पूर्ण किया जाना है। शासन के निर्देश के क्रम में कार्यदायी संस्थाओं से प्राप्त सूचना के अनुसार मेसर्स एल० एण्ड टी० के 22 नग पेयजल योजनाओं में गृह जल संयोजन 8128 नग के सापेक्ष 7115 नग गृह जल संयोजन प्रदान किया जा चुका है, जो लक्ष्य का 88 प्रतिशत है। मेसर्स वी०एस०ए० के 05 नग पेयजल योजनाओं में गृह जल संयोजन 1929 नग के सापेक्ष 1736 नग गृह जल संयोजन प्रदान किया जा चुका है, जो लक्ष्य का 90 प्रतिशत है एवं मेसर्स एच०एफ०सी०एल० की इस कैटेगरी में कोई पेयजल योजना सम्मिलित नहीं है।

कैटेगरी (B) में वर्गीकृत योजनाओं में कार्यदायी संस्थाओं से प्राप्त सूचना के अनुसार मेसर्स एल० एण्ड टी० के 48 नग पेयजल योजनाओं में गृह जल संयोजन 19860 नग के सापेक्ष 12642 नग गृह जल संयोजन प्रदान किया जा चुका है, जो लक्ष्य का 64 प्रतिशत है। मेसर्स वी०एस०ए० के 18 नग पेयजल योजनाओं में गृह जल संयोजन 8573 नग के सापेक्ष 4673 नग गृह जल संयोजन प्रदान किया जा चुका है, जो लक्ष्य का 55 प्रतिशत है एवं मेसर्स एच०एफ०सी०एल० के 03 नग पेयजल योजनाओं में गृह जल संयोजन 974 नग के सापेक्ष 610 नग गृह जल संयोजन प्रदान किया जा चुका है, जो लक्ष्य का 63 प्रतिशत है।


कैटेगरी (C) में वर्गीकृत योजनाओं में कार्यदायी संस्थाओं से प्राप्त सूचना के अनुसार मेसर्स एल० एण्ड टी० के 11 नग पेयजल योजनाओं में गृह जल संयोजन 3623 नग के सापेक्ष 1137 नग गृह जल संयोजन प्रदान किया जा चुका है, जो लक्ष्य का 31 प्रतिशत है। मेसर्स वी०एस०ए० के 21 नग पेयजल योजनाओं में गृह जल संयोजन 22746 नग के सापेक्ष 1597 नग गृह जल संयोजन प्रदान किया जा चुका है, जो लक्ष्य का 7 प्रतिशत है एवं मेसर्स एच०एफ०सी०एल० के 37 नग पेयजल योजनाओं में गृह जल संयोजन 14090 नग के सापेक्ष 2639 नग गृह जल संयोजन प्रदान किया जा चुका है, जो लक्ष्य का 19 प्रतिशत है।

कैटेगरी (D) में वर्गीकृत योजनाओं में कार्यदायी संस्थाओं से प्राप्त सूचना के अनुसार मेसर्स एल० एण्ड टी० के 09 नग पेयजल योजनाओं में गृह जल संयोजन 2703 नग के सापेक्ष 762 नग गृह जल संयोजन प्रदान किया जा चुका है, जो लक्ष्य का 28 प्रतिशत है। मेसर्स वी०एस०ए० के 10 नग पेयजल योजनाओं में गृह जल संयोजन 4430 नग के सापेक्ष 975 नग गृह जल संयोजन प्रदान किया जा चुका है, जो लक्ष्य का 22 प्रतिशत है एवं मेसर्स एच०एफ०सी०एल० की इस कैटेगरी में कोई पेयजल योजना सम्मिलित नहीं है।

कैटेगरी (E) में वर्गीकृत योजनाओं में कार्यदायी संस्थाओं से प्राप्त सूचना के अनुसार मेसर्स एल० एण्ड टी० के 16 नग पेयजल योजनाओं में गृह जल संयोजन 6278 नग के सापेक्ष 850 नग गृह जल संयोजन प्रदान किया जा चुका है, जो लक्ष्य का 14 प्रतिशत है। मेसर्स वी०एस०ए० के 15 नग पेयजल


योजनाओं में गृह जल संयोजन 6950 नग के सापेक्ष 925 नग गृह जल संयोजन प्रदान किया जा चुका है, जो लक्ष्य का 13 प्रतिशत है एवं मेसर्स एच0एफ0सी0एल0 के 49 नग पेयजल योजनाओं में गृह जल संयोजन 19625 नग के सापेक्ष 4420 नग गृह जल संयोजन प्रदान किया जा चुका है, जो लक्ष्य का 23 प्रतिशत है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि कैटेगरी की A, B एवं C के अन्तर्गत आने वाली योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण की जाय।

अन्त में अधोहस्ताक्षरी द्वारा शासन के निर्देश का अनुपालन करते हुए अधिक से अधिक पेयजल योजनाओं को शत प्रतिशत पूर्ण की जाये एवं अन्य पेयजल योजनाओं में डायरेक्ट पंपिंग के माध्यम से ग्रामीणों को जलापूर्ति सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया तथा उपरोक्तानुसार शासनादेश में निहित शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुसार योजनाओं को पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।


24.2.2026
(संतोष कुमार वैश्य)
मुख्य विकास अधिकारी
गाजीपुर।

पृ0सं0- 287 /DWSM-कार्यपुस्त / 06 दिनांक: 24/02/2026
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
2. अधिशासी निदेशक महोदय, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, प्रथम तल किसान बाजार, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी महोदय, गाजीपुर।
4. मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता(वाराणसीक्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), वाराणसी।
6. वित्त निदेशक, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
7. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), वाराणसी।
8. जिलाधिकारी, गाजीपुर।
9. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), गाजीपुर।
10. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय(वि0/याँ0), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), वाराणसी।
11. समस्त कार्यदायी संस्था, डी0सी0-डी0पी0एम0यू0, डी0पी0एम0-टी0पी0आई0, गाजीपुर।


24.2.2026
मुख्य विकास अधिकारी
गाजीपुर।

4/4